Purva Mimaansa
A Multi-discipinary Bi-annual Research Journal
(Double Blind Peer Reviewed)
Vol. 8 No. 1-2, March-Sep. 2017
ISSN : 0976-0237

खाद्य सुरक्षा, नीति, नियोजन व कार्यक्रम निष्पादन

पवन कुमार त्रिपाठी

भारतीय सामाजिक व्यवस्था को चलायमान बनाने के लिए सरकारी और गैर सरकारी संगठनों द्वारा समय समय पर अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाये जाते रहे है ताकि आम लोगो के जीवन में कठिनाईयों का बोझ कम किया जा सके। इस प्रकार सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कई सरकारी योजनाओं का लोकार्पण किया गया ताकि ग्रामीण आमजन को विकास मूलक योजनाओं का लाभ दिलाया जा सके। इन योजनाओं से लोगो को लाभ मिला और उनके जीवन की दिशा में बदलाव आया। उनकी सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था भी मजबूत हुयी।

यह घटना उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के भरावन विकास खण्ड की है। अपनी संघर्षमय जिन्दगी के दिन बसर करते हुए अवधेश (काल्पनिक नाम) दिन प्रतिदिन कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे। उनका जीवन गरीबी की उस अवस्था पर पहुच गया था जिसमें शायद उनका उबर पाना मुश्किल था। बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और गरीबी के बोझ से दबे एक पिता की जिन्दगी नरकमय बन चुकी थी। अवधेश के पिता एक सरकारी प्रा. विद्यालय में अध्यापक थे। जब तक वे थे पूरा परिवार खुशहाल था। उनके गुजर जाने के बाद परिवार पर मानों गरीबीरूपी विपत्ति के बादल ही फट पड़े हो। परिवारिक और आर्थिक व्यवस्था पूर्णरूप से चरमरा गई। एक एक दिन भारी पड गया। आय का कोई स्रोत न होने के कारण और घर की अर्थव्यवस्था शून्य हो जाने के कारण व कृषि योग्य भूमि न होने के कारण जीवन चलाना कठिन हो गया।

उसके बाद ग्राम पंचायतों के बुद्धिजीवी लोगो की नजर उनकी इस हालत पर पडी और ग्राम सभा के सरपंच (प्रधान) से मिलकर अवधेश की सहायता करने के लिए आग्रह किया गया, पूरे घटना क्रम को समझाते हुए अवधेश तिवारी का अन्त्योदय राशनकार्ड बना दिया। अन्त्योदय राशनकार्ड बनने से अवधेश के जीवन में छोटे छोटे बदलाव आना शुरू हो गये। राशन कार्ड पर मिलने वाले सस्ते दामों पर आनाज से अनका परिवार चलने लगा। सरकार द्वारा प्रदेश मे लागू अंत्योदय योजना के तहत कार्ड धारक को कुल 35 किलोग्राम अनाज प्रतिमाह दिया जाता है जिसमें गेहू 2 रूपये प्रति किलोग्राम, चावल 3 रूपये प्रति किलो ग्राम की दर से प्रति परिवार उपलब्ध कराया जाता है इसके अन्तर्गत लेवी चीनी प्रति यूनिट 13.50 रूपये प्रति किलो ग्राम की दर से उपलब्ध करायी जाती है, इस अन्त्योदय राशन कार्ड द्वारा प्राप्त राशन से स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया। धीरे–धीरे राशन घर के उपयोग से बचने लगा और इस तरह से अवधेश को किसी भी प्रकार की कोई नौकरी करने की आवष्यकता नही महसूस हुई। वास्तव में ये योजना अवधेश और उसके परिवार के लिए वरदान साबित हुई।

ये सब सम्भव हुआ है भारत सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल., ए.पी.एल. और अन्त्योदय राशन कार्ड धारकों सस्ते दामों पर आनाज उपलब्ध कराया जाता है।

अवधेश की पारिवारिक पृष्ठभूमि–अवधेश के दो बेटे और एक बेटी है, बेटी बड़ी है उसकी शादी हो चुकी है, उसका अपना परिवार है। दो बेटों में बड़ा बेटा अधिक शिक्षा नही ग्रहण कर पाया और पास के ही निजी स्कूल में अध्यापन कार्य करने लगा, बड़े बेटे की शादी कर दी और उसके बच्चे है परिवार है। छोटा बेटा शहर में कम्पनी में नौकरी करता है। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण छोटा बेटा भी सिर्फ 7वीं तक ही पढ़ायी कर पाया और जीविका चलाने के लिए संघर्ष मे लग गया।

अन्त्योदय कार्ड पर मिलने वाले राशन को लेने के लिए भी अवधेश के पास पैसे नही होते थे। कभी कभी तो दूसरों से पैसे लेकर राशन लाना पड़ता था। इस तरह से अन्त्योदय कार्ड तो बन गया लेकिन आय का कोई स्रोत न होने के कारण कई तरह की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

इसी बीच भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ग्रारन्टी योजना को सितम्बर 2005 में पारित किया गया और इस योजना को देश के सर्वाधिक 200 पिछडे जिलों में लागू किया गया। यह योजना 2 फरवरी

सहायक प्रोफेसर समाजशास्त्र, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी हरियाणा

2006 से लागू हुई इस के अन्तर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के वयस्क सदस्य को एक वित्त वर्ष में न्यूनतम 100 दिन का गारण्टी युक्त अकुष्सल मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराये जाने को लक्ष्य रखा गया।

इस येाजना ने अवधेश के बंद किस्मत के ताले खोल दिए, ग्राम सभा के प्रधान ने अवधेश की स्थिति को देखते हुए मनरेगा में काम करने के लिए जाब कार्ड बना दिया। इस कार्ड के बन जाने से अवधेश को मनरेगा के तहत काम मिलने लगा और काम करने से प्राप्त होने वाले रूपयो से उनके घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होना शुरू हो गया। मजदूरी से प्राप्त पैसों से अन्त्योदय राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन को लेने के लिए जो परेषानी थी वो दूर हो गई अर्थात आय का स्रोत हो जाने के कारण आर्थिक समस्याओं कम हो गई।

इस तरह अवधेश के जीवन में इन दो सरकारी योजनाओं ने नयी रोशनी भर दी, एक योजना 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली' ने सस्ते दामो पर अनाज उपलब्ध कराया, तो दूसरी योजना 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना' ने अनाज खरीदने में आने वाली पैसो की समस्या को दूर कर दिया। इस समय अवधेश की जिन्दगी आम नागरिक की तरह चल रही है। वो मनरेगा में काम करता है इससे आर्थिक लाभ होता है और मजदूरी से प्राप्त रूपयों से अन्त्योदय राशन कार्ड पर मिलने वाले राशन को खरीदता है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली (उत्तर प्रदेश)

सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारतीय खाद्य सुरक्षा व्यवस्था का एक अंग है। इसका प्रारम्भ भारत सरकार के 'उपभोक्ता मामले, खाद्यय एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय' द्वारा किय गया। जो राज्य और केन्द्र सरकार के मिलजुले सहयोग से संचालित होती है। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गरीब लोगों को सस्ते दामों पर आनाज उपलब्ध कराया जाता है। भारत में इस कार्यक्रम की शुरुवात जून, 1977 में हुई थी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे आने वाले परिवारों को गेहूँ, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल सस्ते दामों में उपलब्ध कराया जाता है। इसका संचालन राशन दुकान (कोटा डिपो) के माध्यम से किया जाता है। राशन दुकानों का निर्धारण पहले से ही एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में निर्मित हुआ है।

भारत सरकार के दिशा निर्देश से सार्वजनिक वितरण प्रणाली और नवीनीकृत वितरण प्रणाली को समाप्त करते हुये 1 जून, 1997 से लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की गई। जिसके अन्तर्गत बी.पी.एल. अन्त्योदय, अन्नपूर्णा तथा ए.पी.एल. योजनायें शामिल की गई। गरीबों तक योजना का लाभ पहुँचाने के लिये गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को चिन्हित कर उनके लिये विशेष राशन कार्ड जारी किये गये और सस्ते मूल्य पर अनाज उपलब्ध कराया गया।

भारत सरकार के द्वारा प्रदेश के लिये गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की अधिकतम संख्या 106.79 लाख निर्धारित की गई और इनमें से अति 40.945 लाख अन्त्योदय परिवारों तथा 65.845 लाख बी.पी. एल. परिवारों की संख्या निर्धारित की गई। उत्तर प्रदेश में बी.पी.एल. परिवारों और अन्त्योदय परिवारों को चिन्हित करके उनको राशन कार्ड जारी किये जा चुके हैं। इस सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत बी.पी.एल. योजना के लिये सफेद कार्ड, अन्त्योदय योजना के लिये गुलाबी रंग का कार्ड और ए.पी.एल. योजना के तहत पीले रंग के राशनकार्ड जारी किये जाते हैं।

ए.पी.एल. योजना में कार्ड धारक को कुल 35 किलोग्राम आनाज प्रतिमाह मिलता है जिसमें गेंहूँ 6.60 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 8.45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था है। इसमें कार्डधारक को 23 किलाग्राम गेंहूँ और 12 किलाग्राम चावल दिया जाता है। एल.पी.जी. कनेक्षन धारी राशनकार्ड धारकों को 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है तथा बिना एल.पी.जी. कनेक्षन वाले राशनकार्ड धारकों को 5 लीटर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है। ए.पी.एल. कार्डधारक को लेवी चीनी नहीं उपलब्ध कराई जाती है।

बी.पी.एल. कार्डधारक को प्रतिमाह 35 किलोग्राम आनाज उपलब्ध कराया जाता है जिसमें कार्डधारक को 23 किलाग्राम गेंहूँ और 12 किलाग्राम चावल दिया जाता है। कार्डधारक को गेंहूँ 4.65 रुपये प्रति किलोग्राम, चावल 6. 15 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा बी.पी.एल. कार्डधारक को 700 ग्राम चीनी प्रति यूनिट 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाती है। एल.पी.जी. कनेक्षन धारी राशनकार्ड धारकों को 3 लीटर मिट्टी का तेल प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है तथा बिना एल.पी.जी. कनेक्षन वाले राशनकार्ड

धारकों को 5 लीटर प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता है।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के गरीब परिवार आते हैं। अन्त्योदय कार्ड धारक को कुल 35 किलोग्राम आनाज प्रतिमाह दिया जाता है जिसमें गेंहूँ 2 रुपये प्रति किलोग्राम और चावल 3 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्रति परिवार प्रति माह उपलब्ध कराया जाता है। लेवी चीनी प्रति यूनिट 13.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से उपलब्ध कराई जाती है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को चिन्हित करने को लक्ष्य निर्धारित किया गया। शासनादेश संख्या 437, 29 खाद्यय–डैस्क 1–1 (9), 97 दिनांक 02.09.1997 के दिषा निर्देष के अनुसार 9000 वार्षिक आय सीमा के परिवारों को बी.पी.एल. योजना में शामिल किया गया। अब राज्य योजना आयोग–1 के शासनादेश संख्या 18एम.(6),35–अ–1,2004–12 दिनांक 17.06.2004 के अनुसार 5 सदस्यों के परिवारों को आधार मानते हुये उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 19884 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्र में 25546 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को बी.पी.एल. परिवार माना गया है। उक्त आय से अधिक वार्षिक आय वाले परिवार ए.पी.एल. योजना में राशनकार्ड प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं। बी.पी.एल. और अन्त्योदय योजना में अधिकतम लाभार्थी परिवारों का लक्ष्य क्रमशः 65.845 लाख एवं 40.945 लाख शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। ए.पी.एल. योजना के अन्तर्गत अधिकतम परिवारों का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है। इन सभी योजनाओं के अन्तर्गत जारी किये गये राशनकार्ड पर लाभार्थी परिवार के मुखिया का फोटो व होलोग्राम भी चस्पा रहता है।

राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिये खाद्यान्न और चीनी को समय पर उपलब्ध कराने के लिये रोस्टर व्यवस्था को लागू किया गया है। जिसके अन्तर्गत अगले माह के लिये चालू माह की पहली तारीख से 23 तारीख तक मासिक आवंटन के सापेक्ष में ब्लॉक गोदामों में खाद्यान्न की उपलब्धता, 15 से 23 तरीख तक राशन विक्रेता द्वारा खाद्यान्न, चीनी का मूल्य जमा कराना तथा 23 तारीख से महीने के अन्त तक आवंटित खाद्यान्न और चीनी की मात्रा राशन विक्रेता हो निर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जाता है ताकि महीने की पहली तारीख से पूरे माह राशनकार्ड धारक खाद्यान्न और चीनी अपने राशनकार्ड पर राशन विक्रेता से प्राप्त कर सके। इसके लिये तहसील, ब्लॉक क्षेत्र की राशन दुकानों हेतु विशेष दिवसों का निर्धारण किया जाता है। जिससे राशन की दुकानें प्रातः 8 बजे से शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी और कार्ड धारकों को अनुसूचित वस्तुओं का वितरण किया जायेगा।

भारत सरकार के दिषा निर्देश के अन्तर्गत प्रदेश में 'सिटीजन चार्टर' लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसके अन्तर्गत राशनकार्ड धारकों को सूचना सम्बंधी अधिकार दिये गये हैं। इसमें यह व्यवस्था की गई है कि कोई भी राशनकार्ड धारक ब्लॉक, जनपद स्तरीय अधिकारी से किसी उचित दर की दुकान को आवंटित वस्तुओं एवं उसके द्वारा वितरित की गई वस्तुओं के सम्बंध में 5 रुपये फीस ट्रेजरी में जमा करके 3 माह तक की अवधि सूचना प्राप्त कर सकता है। प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जनपद स्तर पर सभी योजनाओं के पुराने राशनकार्ड निरस्त कर नये सिरे से बुकलेट फार्म में नये राशनकार्ड वितरित किये जाने का अभियान चलाया गया है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत नये सिरे से लाभार्थी परिवारों का मानक के अनुरूप सत्यापन करा कर बी.पी.एल. के लाभार्थियों को सफेद, अन्त्योदय लाभार्थियों को गुलाबी, ए.पी.एल. लाभार्थियों को पीले तथा अन्नपूर्णा लाभार्थी परिवारों को हल्के हरे रंग के राशनकार्ड उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार राशन की दुकानों से उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक वस्तुओं की समय से उपलब्धता सुनिश्चित कराने, अच्छी गुणवता का खाद्यान्न उपलब्ध कराने, कालाबाजारी रोकने तथा खाद्यान्न वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने हेतु सदैव अग्रसर है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिये शासन द्वारा त्रिस्तरीय जांच व्यवस्था लागू की गई है साथ ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का अनुश्रावण करने एवं वितरण प्रणाली पर निगरानी रखने हेतु जिला स्तरीय खाद्य सलाहकार एवं सतर्कता समिति तथा ग्राम स्तरीय प्राशासनिक समिति, दुकान स्तरीय सतर्कता समिति गठित करने के निर्देश जारी किये गये हैं।

समस्त जिला अधिकारियों को यह निर्देश दिये गये हैं कि विभिन्न कमजोर वर्गों, विशेषकर वाल्मीकी परिवारों, अल्पसंखयक समुदायों, पिछड़े वर्गों व मलिन बस्ती में रहने वाले परिवारों के राशनकार्ड विशेष अभियान

Vol. 8 No. 1-2, March-Sep. 2017
ISSN : 0976-0237

चलाकर एवं कैम्प लगाकर मौके पर ही वितरित किये जायें। राशनकार्ड का सत्यापन, फर्जी यूनिट उन्मूलन के लिये समय–समय पर अभियान चलाया जाता है जिससे भ्रष्टाचार और कालाबाजारी पर नियंत्रण बना रहे।

निष्कर्ष

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि खाद्यसुरक्षा के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना व सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मध्य सकारात्मक समन्वय आवश्यक है जिससे जीवन यापन के लिए सस्ती दर पर सामग्री जुटाने के लिए आवश्यक आमदनी भी सुनिश्चित की जा सके। शोध के दौरान यह ज्ञात हुआ कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभपात्र समुचित आय के अभाव में अपने हिस्से का जरूरी राशन नहीं खरीद पाते। जिससे बचा हुआ राशन कालाबाजारी की भेंट चढ़ जाता है।

खाद्य सुरक्षा को मिशन भाव से चलाने की आवश्यकता है। वर्तमान में रोजगार सृजन के उद्देश्य से राशन की दुकानों का संचालन किया जाता है जो अक्सर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे रहते हैं। राशन दूकानदारों के प्रशिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। उनकी सोंच को बदलने व उन्हे योजना के बृहत्तर उद्देश्यों से जोड़ने के लिए निरंतर प्रशिक्षण व ब्रेनस्टोर्मिंग की व्यवस्था की जानी चाहिये।

राशन दूकानदारों के कमीशन मे समुचित वृद्धि की जानी चाहिए जिससे उन्हें अपने परिवार के निर्वहन हेतु उचित आय प्राप्त हो सके व उन्हे चोरी की प्रवृत्ति से दूर किया जा सके।

बायोमेट्रिक पहचान व विपणन प्रणाली लागू कर आधार नम्बर से जोड़ना चाहिए जिससे फर्जी लाभपात्र गलत फायदा न उठा सके।

चयनित लाभपात्रों को स्वरोजगार प्रशिक्षण देना चाहिए जिससे उन्हें बैंक की क्रेडिट लाइन से जोड़ कर गरीबी की रेखा के ऊपर उठाया जा सके और उनकी अनुदान पर निर्भरता कम की जा सके।